

जगदीश प्रसाद यादव
सरपंच

कायालय ग्राम पंचायत
कालवाड़, जयपुर (राजस्थान)

प्रतिलिपि प्रस्ताव संख्या 33 ग्राम सभा दिनांक 20-09-2005

विद्यानी शिक्षण समिति, आर-4, सेक्टर-3, विद्याधर नगर, जयपुर द्वारा खसरा नम्बर 172, 173, 177 व 178 ग्राम कालवाड़ में स्थित भूमि के संस्थानिक उपयोग हेतु भवन मानचित्र के अनुमोदन की प्रार्थना की है।

आज दिनांक 20-09-2005 को आयोजित ग्राम सभा, ग्राम पंचायत कालवाड़, जयपुर की बैठक में उक्त आवेदन पर उपस्थित ग्रामीणों व पंचायत सदस्यों के समक्ष विद्यानी शिक्षण समिति के द्वारा खसरा नम्बर 172, 173, 177 व 178 के संस्थानिक उपयोग हेतु प्रस्तावित विश्वविद्यालय/महाविद्यालय के भवन मानचित्र वास्तुकार द्वारा प्रमाणित प्रस्तुत किया गया है, जिस पर विचार-विमर्श किया गया जिस पर किसी प्रकार की आपत्ति जाहिर नहीं हुयी। अतः सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर उक्त भूमि के साईट प्लान एवं प्रस्तावित विश्वविद्यालय/महाविद्यालय के भवन मानचित्र का अनुमोदन किया गया।



(जगदीश प्रसाद यादव)

सरपंच

ग्राम पंचायत-कालवाड़, जयपुर



Stamps and Registration Department
 OFFICE OF SUB REGISTRAR SR - V
 JAIPUR
 (Rule 75 & 131)

FEE RECEIPT

Fee Receipt No	2010397004873	Date	11/06/2010
Presenter Name	SMT. PRAKASH KANWAR	Document S. No	2010397004637
Presenter/Property Address	VILL. BHAMBHORIA TEH. SANGANER DIST. JPRnullnull		
Document Type	Sale Deed (Conveyance deed)		
Claimant Name	RAJEEV BIYANI	Payment Mode	Cash
Face Value	16187500	Evaluated Value	16187500
		Stamp Value	800000

Ord~ registration fee	25000	comission	0
csf_more_50000	200	custody	0
stamp(memorandom)	0	reg(memorandom)	0
Penalty	0	us_57	0
stamp duty	9380	us_62	0
11-35_34	0	others	0
34_67	0	Inspection_fee	0
		Total :	34580

Thirty Four Thousand Five Hundred Eighty Only

Sub Registrar JAIPUR-V



भारतीय बैंक न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

दस हजार रुपये

₹.
10000



Rs.
10000

TEN THOUSAND RUPEES

राजस्थान RAJASTHAN



32840 SPLADH राजस्थान
173033 MAR 11 2010

14:36
R 07900004/PB6662

STAMP DUTY RAJASTHAN



प्रकाश कौर कलाश कौर उमेश कर उमेश कौर बैन कौर राजीव विजयनी

क्रि पत्र

यह विक्रय पत्र आज दिनांक 11 मार्च 2010 ईरवी को निम्न पटकारान् के मध्य निम्न शास्त्र अन्तर्गत उप पंजीयक, जयपुर के गले विष्वादित करवाया गया है।

प्रकाश कौर
कैलाश कौर
रुपेश कर
उमेश कौर
बैन कौर
राजीव विजयनी

गले विष्वादित किए गए

निम्न शास्त्र



(2)

1. श्रीमती प्रकाश कंवर आयु 38 वर्ष धर्मपति श्री बजरंग सिंह,
2. श्रीमती कैलाश कंवर आयु 36 वर्ष धर्मपति श्री रत्न सिंह, 3.
- श्रीमती सुरेश कंवर आयु 32 वर्ष धर्मपति श्री गोविंद सिंह, 4.
- श्रीमती उम्मेद कंवर आयु 42 वर्ष धर्मपति श्री बरपत सिंह जाति राजपूत, निवासियान गांव भगवान्निया, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर (राजस्थान)
5. श्रीमती चैन कंवर आयु 40 वर्ष धर्मपति श्री दुर्जन सिंह जाति राजपूत, निवासी ए-१८, सिंह भूमि कॉलोनी, खातीपुरा, जयपुर (राजस्थान), जिन्हें इस विक्रय पत्र में समिलित रूप से "प्रथम पक्ष विक्रेतीण" के नाम से सम्बोधित किया जाया है (जिसमें विक्रेतीण रखवाए एवं उनके तमाम पारिवारिक सदस्य, वारिस, उत्तराधिकारी, स्थानापन्न, प्रतिविधि, अभिकर्ता, प्रशासक, असाईंबीज, बोमिनीज इत्यादि समिलित व पावन समझे जावेंगे) की ओर से विद्यानी शिक्षण समिति जो कि पंजीकृत संगठित जिसका रजिस्ट्रेशन नम्बर 500/जयपुर/1997-98 रजिस्टर्ड कार्यालय आट-४, सेक्टर नम्बर-३, विद्याधर नगर, जयपुर (राजस्थान) जारिये अध्यक्ष श्री राजीव विद्यानी पुत्र स्वर्णीय श्री जुगल किशोरजी विद्यानी आयु 40 वर्ष जाति महाजन, निवासी प्लाट नम्बर ८, डी.के. नगर, खातीपुरा रोड, शोटवाडा, जयपुर (राजस्थान), जिन्हें इस विक्रय पत्र में शब्द "द्वितीय पक्ष क्रेता शिक्षण समिति" के नाम से सम्बोधित किया जाया है के हित में निम्न प्रकार लिखा जा रहा है जिसमें द्वितीय पक्ष एवं द्वितीय पक्ष के तमाम पारिवारिक सदस्य, वारिसान, उत्तराधिकारी, स्थानापन्न, प्रतिविधि, अभिकर्ता, प्रशासक, असाईंबीज, बोमिनीज इत्यादि उभी पावन व समिलित होंगे।

जो कि जग्मानवी सर्वोन्नति गांव कालवाड पटवार हत्का कालवाड तहसील व जिला जयपुर (राजस्थान) में आराजी कृषि भूमि खाता संख्या ९५ के अन्तर्गत वाली विद्यानी रिजन समिति

पुस्तकालय
अमेत्कैवर

Nagesh Bapna



(3)

स्थिति कृषि भूमि खासरा बज्वर 172 रक्का 02 बीघा बाराबी तृतीय, खासरा
बज्वर 73/1 रक्का 2 बीघा 4 बिस्या बाराबी तृतीय, खासरा बज्वर 177/1
रक्का 3 बीघा 10 बिस्या बाराबी तृतीय एवं खासरा बज्वर 178 रक्का
5 बीघा 05 बिस्या बाराबी तृतीय कुल धार किता खासरा बज्वराल जिलका
कुल रक्का 12 बीघा 19 बिस्या कृषि भूमि स्थित है। जिसकी सम्पूर्ण
आतेदारी में प्रथम पक्ष के नाम खासरा बज्वर 172 व 178 में हिस्सा 1/5
पूर्व से दर्ज व अंकित है तथा हिस्सा 4/5 नामान्वारण संख्या 2076 दिनांक 20.
07.2007 विक्रिमय के द्वारा दर्ज व अंकित हुई एवं खासरा बज्वर 173/1
व खासरा बज्वर 177/1 की सम्पूर्ण आतेदारी नामान्वारण संख्या 2057 दिनांक
30.08.2007 विभाजन के द्वारा प्रथम पक्ष के नाम दर्ज व अंकित हुई है।

इस प्रकार प्रथम पक्ष विक्रेतीगण उक्त कृषि भूमि के अपने-अपने हिस्सेनुसार
काश्तकार, आतेदार, जालकिन, काविज, स्वामिनी य अधिकारिणी हैं तथा उक्त
कृषि भूमि में अन्य किसी का कोई ठक हिस्सा या ताल्सुक नहीं है और प्रथम
पक्ष विक्रेतीगण के स्वामित्व य कब्जे की यह भूमि प्रत्येक प्रकार के राज्य
सरकार, स्वायत्त शासन, संसद्या या वित्तीय संस्था य जनसाधारण के लालन आदि
के भार, दूगड़ों, ढंगों आदि से मुक्त है एवं उक्त भूमि के बाबत प्रथम पक्ष
विक्रेतीगण ने इस विक्रय पत्र के अलावा अन्य किसी के भी हित में किसी भी
प्रकार से लिखा पढ़ी नहीं कर रखी है और न कोई विक्रय अनुबन्ध कर रखा
जायेगा य अन्य किसी प्रकार से भी उक्त भूमि विवादित भूमि नहीं है य पूर्णतया पाक
व राप, है तथा उक्त भूमि के बाबत अवाधि से सम्बन्धित कोई कार्यवाही भी
विवारायी नहीं है। किसी भी प्रकार से अवाधि से सम्बन्धित किसी भी प्रकार
कोई कोई सूधना प्रवाग पक्ष विक्रेतीगण को प्राप्त नहीं हुई है तथा उक्त भूमि को

प्रथम पक्ष विक्रेतीगण खेड़ियात आतेदार, काश्तकार होने के कारण हर प्रकार से
पाते रहा तिका सभित्र
Rojan Br. Jany
कैलाली, पर्य
२०१० ई.



(4)



अधिकार आराजी पर काबिज होकर लगातार उस्तेमाल कर रही है व प्रथम पक्ष विक्रेतीयण को छर प्रकार से उक्त भूमि को उपयोग व उपभोग में लेवे के अंतर्कार प्रथम पक्ष विक्रेतीयण को प्राप्त है।

यह कि प्रथम पक्ष विक्रेतीयण को अपनी पारिवारिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु लपणों की आवश्यकता होवे के कारण उक्त वर्धित ग्राम कालबाड़ तहसील व जिला जयपुर ने आराजी कृषि भूमि खासरा बम्बर 172, 173/1, 177/1 एवं 178 कुल किटा 0.4 घरसरा नम्बरान युल रक्का 12 बीघा 19 बिस्ता भूमि भय लगा दुआ बोरिंग, रुआ, परियंग सेट, कनेक्शन, डिपोजिट, जोटर तथा विशुल कनेक्शन सहित को द्वितीय पक्ष क्रेता विद्यानी शिक्षण समिति जो कि पंजीकृत समिति जिसका रजिस्ट्रेशन नम्बर 500/जयपुर/1997-98 रजिस्टर्ड कार्यालय आर-4, सेक्टर नम्बर-3, विद्याधर नगर, जयपुर (राजस्थान) को सम्पूर्ण स्वत्वों व अधिकारों व कुल खातेदारी के टुकड़ों सहित को भय पेड़, पौधे, पाला, पांडी, बोल, सोल, मेड, डोर इत्यादि सहित व बिना रखे किसी भी हक व हिस्से के सम्पूर्ण स्वत्वों व अधिकारों के अपनी स्वस्थ इन्द्रिय तथा लिंग बुद्धि की अवस्था में बिना किसी दबाव व प्रभाव के मुख्यमान 1,61,87,500/- लपण अक्षर एक करोड़ इक्सठ लाख सत्यार्थी हजार पाँच सौ लपणों में करार्ह देवान कर दी है और विक्रेता भूमि की चुकती राशि निम्न प्रकार प्राप्त कर ली है :-

क्र.सं.	ऐक नं.	राशि	दिनांक	दैक	प्रापाकर्ता
1.	893719	32,37,500/-	04.03.2010	एस.बी.बी.जे. दैक	बीमती प्रकाश कंटर विद्याधर नगर, जयपुर
2.	898720	32,37,500/-	04.03.2010	उपरोक्त दैक	बीमती कैलाश कंटर
3.	898721	32,37,500/-	04.03.2010	उपरोक्त दैक	बीमती सुरेश कंटर
4.	898722	32,37,500/-	04.03.2010	उपरोक्त दैक	बीमती उमेद कंटर
5.	898723	32,37,500/-	04.03.2010	उपरोक्त दैक	बीमती पैस कंटर
कुल		1,61,87,500/-			भय लपण अक्षर

इस प्रकार प्रथम पक्ष विक्रेतीयण वे द्वितीय पक्ष क्रेता शिक्षण समिति

11/121 के नं. क्रमांक बैंबर
कैलाश कंटर
जयपुर

रुपेश नं. 11/121, कैलाश
जयपुर

पाले निम्नानि विद्युत चानिति
Rojen Brijwasi

जयपुर



(5)



से विक्रय मूल्याधन की सम्पूर्ण राशि उपरोक्त अनुसार प्राप्त कर जा है, जिवकी द्वितीय प्रथम पक्ष विक्रेत्रीणि उप पंजीयक जयपुर के समक्ष विक्रय पत्र के विष्यादान के समय करती है और विक्रय मूल्य में से द्वितीय पक्ष क्रेता शिक्षण समिति से कुछ भी लेना शेष नहीं रहा है और विक्रय की गई कृषि भूमि का कब्जा द्वितीय पक्ष क्रेता शिक्षण समिति को जौके पर वास्तविक मालिकाबाबा रूप से संभला दिया है। इस प्रकार विक्रय पत्र द्वारा क्रय की गई कृषि भूमि की द्वितीय पक्ष क्रेता शिक्षण समिति बिना किसी सीर एवम् साझी के एकमात्र काश्तकार, आतेदार, मालिक, काविज, स्वामी व अधिकारी हो गई है व रहेगी तथा उक्त कृषि भूमि पर जिस प्रकार आज तक प्रथम पक्ष विक्रेत्रीणि को जो मालिकाबा हक हकूक व आतेदारी अधिकार व स्थानित्व प्राप्त हैं वे आज से इस विक्रय पत्र के जरिये द्वितीय पक्ष क्रेता शिक्षण समिति को हस्तान्तरण होकर प्राप्त हो जाये हैं वे आज से इस विक्रय पत्र के जरिये द्वितीय पक्ष क्रेता शिक्षण समिति को हस्तान्तरण होकर प्राप्त हो जाये हैं व विक्रय की गई भूमि का वास्तविक कब्जा जौके पर द्वितीय पक्ष क्रेता शिक्षण समिति को प्राप्त हो जाये हैं।

यह कि अब द्वितीय पक्ष क्रेता शिक्षण समिति उक्त सासारा नक्यारान 04 किला चूल रक्खा 12 बीघा 19 बिस्ता की भूमि का जागान्तरण अपने जाग आवश्यकतानुसार काश्त कराये, काश्त से पायदे उठाये एवम् अपने बाग से विद्युत कलेक्शन प्राप्त करें/हस्तान्तरण कराये व भूमि से तमाम पायदे उठाये, जिस तरह था हे अपने उपयोग व उपभोग में लेये तथा नियमानुसार अन्य किसी प्रयोजनार्थ परिवर्तित कराये तथा उक्त भूमि किसी भी विभाग द्वारा अपाप्त होने पर उसके स्थान पर मिलने वाली भूमि, भूखण्ड प्राप्त करे तथा उससे सञ्चालित दस्तावेज

प्रकार। क्र. नं.
कै. १२/कै. १२
ग्र. १२/कै. १२

अमैल्यैन
प्रेम ना

वासे विद्यार्थी विद्यालय समिति
Rajeev Brijwary
अपाप्त



(6)



पापत करे, उनका पंछीयन करावें तथा कब्जा प्राप्त करे, सम्पूर्ण खातेदारी या
मालिकाना अधिकार, स्थानित्य द्वितीय पक्ष क्रेता को प्राप्त हो जाये हैं।

यह कि विक्रय की गई कृषि भूमि के बाबत विक्रय पत्र निष्पादन होने के
पहले की किसी प्रकार की कोई राशि सरकारी, अर्द्ध सरकारी, और सरकारी तथा
लगातार की साँझि, सरकारी या गैर सरकारी राशि या बैंक इत्यादि की बकाया
विकलेंगी तो उसका प्रथम पक्ष विक्रेतीगण स्वयं देनदार रहेंगे व द्वितीय पक्ष क्रेता
शिक्षण समिति का उत्तर राशि अदा करने का कोई दायित्व नहीं होगा तथा विक्रय
पत्र निष्पादन होने के पश्चात से आयबद्ध लगाए वाली सरकारी राशि शुल्क घार्ज
क्रेता शिक्षण समिति देनदार रहेंगी तथा उक्त कृषि भूमि के बेचान के सम्बन्ध
में कोई व्यक्ति किसी प्रकार की आपत्ति, वाद-विवाद, झगड़ा, दंट उत्पन्न करेगा
तो उसका विषयता प्रथम पक्ष विक्रेतीगण स्वयं अपने हर्जे व ऊर्चे से करने हेतु
बाध्य रहेगा व उत्तर विक्रय की गई कृषि भूमि के बाबत अब प्रथम पक्ष
विक्रेतीगण स्वयं एवम् उनके वारिसान, उत्तराधिकारियों, पारिवारिक सदस्यों,
स्थानापन्न इत्यादि का किसी भी प्रकार का कोई सम्बन्ध, हक व हिस्सा नहीं
रहा है और जो ही भविष्य में होगा व अगर प्रथम पक्ष विक्रेतीगण के अधिकार
की चुटि के कारण उक्त विक्रय की गई भूमि सम्पूर्ण या इसका कोई अंश क्रेता
शिक्षण समिति के कब्जे व अधिकार से बाहर निकल जावे तथा किसी विवाद
में फस जावे तो द्वितीय पक्ष क्रेता शिक्षण समिति सम्पूर्ण विक्रय राशि मय व्याज
व हर्जे, ऊर्चे से प्रथम पक्ष विक्रेतीगण की चल व अचल सम्पत्ति से वर्गुल करने

राजस्थान, जयपुर
पंचम

का अधिकारिणी होगी।

यह कि उक्त विक्रय की गई कृषि भूमि के बाबत प्रथम पक्ष विक्रेतीगण
का एवम् प्रथम पक्ष विक्रेतीगण के वारिसान, उत्तराधिकारियों, पारिवारिक
सदस्यों, स्थानापन्न इत्यादि का किसी भी प्रकार का कोई सम्बन्ध, हक व हिस्सा

कुनौन । केंवर ऊर्मीलक्ष्मी

कुनौन । श्रीकृष्ण

सुरेन्द्र कुमार

कौल कुमार

राजेन्द्र राजेन्द्र
Rajendra Rajendra



(7)



जही रहा है और जो भी भवित्व में रहे।

यह कि विक्रय पत्र का उचाँ द्वितीय पक्ष क्रेता के लिए रहा है एवं द्वितीय पक्ष क्रेता ने ही बहन किया है।

यह कि जब भी सम्बन्धित कार्यवाही य किसी भी प्रकार की त्रुटि की अवस्था में संशोधन पत्र इत्यादि विषयादित करने हेतु द्वितीय पक्ष क्रेता शिक्षण समिति को प्रथम पक्ष विक्रेत्रीगण के ठस्ताक्षर, उपस्थिति य सहयोग की आवश्यकता होगी तो उसकी पूर्ति प्रथम पक्ष विक्रेत्रीगण समय पर करने हेतु पाबद्ध य बदलबद्ध है।

यह कि विक्रय की गई भूमि मुख्य सड़क से लगभग 500 मीटर दूरी पर स्थित है।

यह कि विक्रय की गई भूमि की घारें सीमायें इस प्रकार हैं कि पूर्व की ओर पक्की चार दीवारी आसरा नम्बर 173/2, 177/2 श्री राजीव विद्यानी घोराह की काश्त की, पश्चिम की ओर आग रास्ता 30 फीट चौड़ा, उत्तर की ओर पक्की चार दीवारी आसरा नम्बर 179, 184 श्री पूलाजी गीणा की काश्त की भूमि तथा दक्षिण की ओर आग रास्ता गांग कालवाड़ में जाने का स्थित है।

यह कि क्रेता शिक्षण समिति के विधान में कृषि भूमि क्रय करना और उक्त भूमि काश्त पैदा करना तथा उक्त भूमि में काश्त पैदा हो उसको विक्रय करने का प्रावधान भी विधान में है, इसलिये समिति ने उक्त कृषि भूमि क्रय करने के लिए नियमित रूप से विधान में जाने की अनुमति दी है।

यह कि विक्रय की गई भूमि का रक्का 12 वी. 19 विलय है जो कि

प्रकाश नं. 2 अमैक्यैरू

कैलाश कैरू

रुपानि

प्रते विक्रेता विज्ञ समिति
Rojesh Brijnji

जलवा



(8)



कृषि भूमि कार्य की है और कृषि उपयोग में आ रही है तथा भुख्य संघर्ष से करीब 500 ग्रीटर से अन्दर की दूरी पर स्थित है।

आतः यह विक्रय पत्र प्रथम पक्ष विक्रेतीय पक्ष के लिए के हित में अपनी-अपनी राजी, सुशी, रवस्य चित्त तथा रिश्वर बुद्धि की अवस्था में विला किसी दबाव व बहकावे के व विला किसी नशे पते के 10,000/- रुपये के एक किता मुद्रांक पेपर व 7,90,000/-रुपये की फ्रैंकिंग, इस प्रकार कुल 8,00,000/-रुपये की मुद्रांक शुल्क व सात शील पेपरों पर लिखा यह, सुन व समझकर और दोनों पक्षों वे हस्ताक्षर कर दिये हैं कि सबद् रहे और यकृत जल्दत काम आयें। इति दिनांक :- 04 मार्च सन् 2010 ईस्वी

हस्ताक्षर प्रथम पक्ष विक्रेतीय:-

पृष्ठा ११ का २

वैलाशक्षर

1. श्रीमती प्रकाश कंवर

2. श्रीमती कैलाश कंवर

मुरेश कंवर

उमेत्कंवर

3. श्रीमती सुरेश कंवर

4. श्रीमती उमोद कंवर

पैन कैंट
5. श्रीमती चैन कंवर

हस्ताक्षर द्वितीय पक्ष क्रेता :-

फूसों विकासी लिङ्ग समिति

RajeshBrijani

बागल

(राजीय विद्याली)

जरिये अवास विद्याली शिक्षण समिति

PAN AAATB4298Q

ग्राम - गोपीनाथ गांव गोपीनाथ गांव
काशीपुर जिल्हा गोपीनाथ



ग्राम - गोपीनाथ

गोपीनाथ गांव, गोपीनाथ, गोपीनाथ

गोपीनाथ, गोपीनाथ, गोपीनाथ

卷之三

卷之三

卷之三

四百一

卷之三

卷之三

प्राचीन विद्या	संक्षेप	प्राचीन विद्या	संक्षेप
१८२	१	१८०६	१
१८३	११	१८०७	११
१८४	३	१८०८	३
१८५	३	१८०९	३
१८६	६०४	१८१०	६०४
१८७	५२५	१८११	५२५
१८८	५०६	१८१२	५०६
१८९	५०५	१८१३	५०५
१९०	११०३	१८१४	११०३

1. *W. B. Smith, 1922*
2. *W. B. Smith, 1922*



THE JOURNAL OF CLIMATE

卷之三

卷之三

1.84

पट्टदारा श्री

卷之三

110

Q15

卷之三

~~420°~~

卷之三